# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

## पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

**पत्रावली संख्याः— 09/2016/निगरानी**

ग्राम पंचायत प्रीतमपुरी पंचायत समिति नीमकाथाना जरिए सरपंच श्री भोलाराम लाम्बा पुत्र प्रभुदयाल जाति जाट निवासी ढाणी लाम्बान तन प्रीतमपुरी पंचायत समिति नीमकाथाना जिला सीकर

**निगरानीकर्ता**

**बनाम**

पवन कुमार शर्मा पुत्र श्री मातादीन शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी प्रीतमपुरी तह. नीमकाथाना जिला सीकर

**गैर निगरानीकर्ता**

**निगरानी विरूद्व निर्णय प्रशासन एवं स्थायी समिति नीमकाथाना जिला सीकर अपील संख्या 16/2015 उनवानी पवन कुमार शर्मा बनाम ग्राम पंचायत प्रीतमपुरी दिनांकित 19.07.16**

वकील प्रार्थी श्री सोहन लाल

वकील अप्रार्थी श्री महेश पटेल

**निर्णय** **दिनांकः—23.03.2018**

संक्षेप में निगरानीकर्ता के कथनों अनुसार तथ्य निम्न प्रकार है कि गैर निगरानीकर्ता द्वारा बिना ग्राम पंचायत की अनुमति लिए बिना मेला मैदान बंधा के पास (आम रास्ते पास) अचानक अवैध निर्माण चालू कर दिया। निगरानीकर्ता द्वारा गैर निगरानीकर्ता को नोटिस देते हुए दिनांक 27.08.2015 को आपातकलीन बैठक बुलाकर प्रस्ताव संख्या 01 सम्पूर्ण विधिक कार्यवाही करने के पश्चात् इस आशय का पारित किया गया कि पवन कुमार शर्मा पुत्र श्री मातादीन शर्मा द्वारा जो अतिकमण किया जा रहा है वह पंचायत की जमीन व मेला मैदान में किया जा रहा है। उसको जारी पट्टे रतनलाल सुरजमल पुत्र श्री रामचन्द्र पुरोहित के नाम से जो पट्टा दिया हुआ है। पवन कुमार शर्मा उसके बिल्कुल पट्टे से बाहर व उत्तर दिशा में कर रहा है, जो अवैध है। पंचायत बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय कर निम्नांकित पंचो की कमेटी मौका निरीक्षण रिपोर्ट हेतु तैयार की। (1) उपसरपंच श्रीमती श्रेय कंवर वार्ड न. 17 (2) श्री महेश कुमार मीणा वार्ड नं. 15 (3) श्रीमती मंजुदेवी वार्ड न. 14 (4) श्री सुरेश कुमार नेहरा वार्ड पंच वार्ड न. 9 (5) श्री सांवर मण्डीवाल वार्ड नं. 1 मौका निरीक्षण रिपोर्ट पेश कर पंचो ने रिपोर्ट पेश की है कि रतनलाल सुरजमल पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र पुरोहित के पटटे की वास्तविक लम्बाई उत्तर से दक्षिण 16 गज व पूर्व पश्चिम 09 गज है। मगर पवन कुमार वगैरह ने वर्तमान में उत्तर से दक्षिण तक 70 फिट व पूर्व पश्चिम मे 34 फिट तक कब्जा कर रखा है। व वर्तमान निर्माण कार्य उसके भी बिल्कुल बाहर आम रास्ते पर अवैध है, अतिकमण है। उक्त प्रस्ताव के खिलाफ गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 द्वारा योग्य अधिनस्थ न्यायालय प्रशासन एवं स्थायी समिति पंचायत समिति नीमकाथाना जिला सीकर के समक्ष चुनौतीग्रस्त अपील दिनांक 01.09.15 को प्रस्तुत की गयी। उक्त अपील में पूर्व में गलत रूप से स्थगन आदेश पारित कर दिया गया तथा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

19.07.16 अपील पत्रावली पेश हुई। मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। आवाज लगाई गई। वादी उपस्थित, प्रतिवादी अनुपस्थित विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया की ग्रांम पंचायत प्रीतमपुरी की मिटिंग दिनांक 27.08.2015 का प्रस्ताव संख्या 01 न्याय संगत नहीं है। इसलिए ग्राम पंचायत प्रीतमपुरी की मिटिंग दिनांक 27.08.2015 के प्रस्ताव संख्या 1 को निरस्त किया जाता है। तथा ग्राम पंचायत प्रीतमपुरी जरिये सरपंच/ग्राम सेवक को पाबंद किया जाता है कि प्रार्थी/अपीलार्थी के उपयोग उपभोग व निर्माण तथा अन्य किसी प्रकार का कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करें। फैसला सुनाया गया। पत्रावलरी नम्बर से कम हो।" योग्य अधिनस्थ न्यायालय प्रशासन एवं स्थायी समिति पंचायत समिति नीमकाथाना द्वारा चुनौतीग्रस्त निर्णय दिनांक 19.07.16 एकतरफा पारित किया गया है। चुनौतीग्रस्त निर्णय पारित किये जाने से पूर्व निगरानीकर्ता को समुचित रूप से सुनवाई का अवसर नही दिया गया। गैर निगरानीकर्ता द्वारा अवैध अतिक्रमण व निर्माण किया जाना ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत की गयी मौका रिपोर्ट के आधार पर चुनौतीग्रस्त निर्णय पारित कर दिया गया। ग्रम पंचायत द्वारा दिनांक 27.8.15 को जो प्रस्ताव संख्या 1 पारित किया गया था, वह दस्तावेजी साक्ष्य व मौका रिपोर्ट पर आधारित है। परन्तु योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा चुनौतीग्रस्त निर्णय दस्तावेजी साक्ष्य के विपरित एवं मनमाना है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा चुनौतीग्रस्त निर्णय पारित किये जाने से पूर्व पंचायत की पत्रावली ही तलब नहीं की गई। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कानूनी स्थिति समझे बिना ही गैर निगरानीकर्ता के अभिकथनों को सही मानते हुए चुनौतीग्रस्त अवैध आज्ञा पारित कर दी गयी। जबकि बिना पंचायत की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति को निर्माण करने का अधिकार नहीं है। अतः निगरानी कर्ता की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय प्रशासन एवं स्थायी समिति पंचायत समिति नीमकाथाना द्वारा पारित चुनौतिग्रस्त निर्णय दिनांक 19.07.2016 निरस्त फरमाया जाकर ग्राम पंचायत प्रीतमपुरी पंचायत समिति नीमकाथाना द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 27.08.2015 बहाल किया जावे।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा पूर्वोक्त कथनों की पुनरावृति करते हुए निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है वंही विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता का कथन है कि विवादित स्थान पर गैरनिगरानीकर्ता का पुश्तैनी मकान है एवं पूर्वजों के समय से पीढ़ी दर पीढ़ी काबिज चले आ रहे है। विवादित स्थान पर गैरनिगरानीकर्ता का कोई अतिक्रमण नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 27.08.2015 में अंकित किया है कि पवन कुमार शर्मा पुत्र श्री मातादीन शर्मा द्वारा जो अतिक्रमण किया जा रहा है वह पंचायत की जमीन व बालाजी मेला मैदान में किया जा रहा है। उसको जारी पट्टे रतनलाल, सुरजमल पुत्र श्री रामचन्द्र पुरोहित के नाम से जो पट्टा दिया हुआ है। पवन कुमार शर्मा उसके बिल्कुल पट्टे से बाहर उत्तर दिशा में कर रहा है जो अवैध है। उक्त प्रस्ताव पंचायत में सर्व सम्मति से पारित किया हुआ है। न्यायालय प्रशासन एवं स्थायी समिति पंचायत समिति नीमकाथाना द्वारा दिनांक 19.07.2016 को निर्णय पारित कर ग्राम पंचायत प्रीतमपुरी द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 27.08. 2015 निरस्त कर दिया गया। न्यायालय प्रशासन एवं स्थायी समिति पंचायत समिति नीमकाथाना के निर्णय अनुसार **"19.07.16 अपील पत्रावली पेश हुई। मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। आवाज लगाई गई। वादी उपस्थित, प्रतिवादी अनुपस्थित विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से**

Web Copy Not Official

**27.08.2015 का प्रस्ताव संख्या 01 न्याय संगत नहीं है। इसलिये ग्राम पंचायत प्रीतमपुरी की मिटिंग दिनांक 27.08.2015 के प्रस्ताव संख्या 01 को निरस्त किया जाता है। तथा ग्राम पंचायत प्रीतमपुरी जरिये सरपंच/ग्राम सेवक को पाबंद किया जाता है कि प्रार्थी/अपीलार्थी के उपयोग, उपभोग व निर्माण तथा अन्य किसी प्रकार का कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करें। फैसला सुनाया गया। पत्रावलरी नम्बर से कम हो।"** न्यायालय प्रशासन एवं स्थायी समिति पंचायत समिति नीमकाथाना द्वारा चुनौतिग्रस्त निर्णय पारित करते समय ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 1 में वर्णितअनुसार अतिक्रमित भूमि पर गैरनिगरानीकर्ता का अतिक्रमण होने व अगर अतिक्रमण नहीं पाया गया तो उसके सम्बंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया। साथ ही निर्णय के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के सम्बंध में दस्तावेज/साक्ष्य अभिलेख पर लिये जाकर व्याख्या करने के सम्बंध में कोई उल्लेख नहीं किया है। केवल मात्र सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया गया है जो न्याय संगत नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर न्यायालय प्रशासन एवं स्थायी समिति पंचायत समिति नीमकाथाना द्वारा पारित निर्णय 19.07.2016 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत प्रीतमपुरी पंचायत समिति नीमकाथाना को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अप्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अतिक्रमित स्थान का सीमाज्ञान किया जाकर नियमानुसार कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/3/18

(जय प्रकाश)

अति० जिला कलक्टर, सीकर